6/1/09

37

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR
(LOCAL AUDIT WING), PATNA –800 001

No. L.A.Sur/ 1635 **Dated:** - 31/12/08

To,

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development and Housing Department,
Patna.

Sir,

Audit Report No.- **448/2008-09** on the accounts of **Nagar Panchayat, Silao** for the Period **2004-05 to 2007-08** is enclosed for your kind information and necessary action.

Yours faithfully

Encl: -As above

Audit Officer/Surcharge
Local Audit Wing, Bihar, Patna

Forwading - Report sent to local offices

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्याः- 448/2008-09
नगर पंचायत सिलाव (नालन्दा)

1. प्रस्तावना।

नगर पंचायत सिलाव (नालन्दा) के लेखा परीक्षा अवधि 2004-05 से 2007-08 तक के लेखाओं की नमूना लेखा परीक्षा जांच प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना के स्थानीय लेखा परीक्षा, शाखा, बिहार के लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक-11/08/2008 से 06/09/2008 तक की गई।

2. प्रशासन।

अध्यक्ष	
श्री शिव कुमार प्रसाद सिंह	01.04.2004 से 08.06.2007
श्री सुनैना देवी	08.06.2007 से 31.03.2008
उपाध्यक्ष	
श्रीमति साहिस्ता प्रवीण	01.04.2004 से 08.06.2007
श्री अनुज सिंह	08.06.2007 से 31.03.2008
कार्यपालक पदाधिकारी	
श्री महेश कुमार दास	01.04.2004 से 25.05.2006
श्री एनामुल हक् सिद्दकी	26.05.2005 से 08.07.2006
श्री राजेश कुमार	08.07.2006 से 08.12.2006
श्री सत्येन्द्र कुमार	08.12.2006 से 23.04.2007
श्री अनिल कुमार शर्मा	27.07.2007 से 08.12.2007
श्री संदीप कुमार	16.01.2008 से 31.03.2008

2. (i.) पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं तत्संबंधी लंबित कंडिकाओं पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध है कि लंबित कंडिकाओं के निराकरण करने के दिशा में अविलंब ठोस कदम उठाये जाये ताकि अंकेक्षण का उद्देश्य पुरा हो सके।

2. (ii.) लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र।

लेखा परीक्षा में उपलब्ध एवं नमूना लेखा परीक्षा की गई अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन के **परिशिष्ट- I** में तथा अनुपलब्ध/असंधारित अभिलेखों की सूची **परिशिष्टि- II** में दी गई है।

3. वित्त।

नगर पंचायत सिलाव द्वारा वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक प्रारंभिक शेष, प्राप्ति, व्यय एवं अंतशेष का विवरण निम्न है:-

	वर्ष 2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
प्रारंभिक शेष	2840260	1068419	1518982	5103276
अनुदान				
एकादश वित्त आयोग	492983	----	----	----
द्वादश वित्त आयोग	--	597509	395527	593944
स्वर्ण ज0श0 रो0यो0	87647	136000	808609	----
वेतन मद में अनुदान	51095	73867	----	340944
वेतन मद में ऋण	51094	44319	34094	----
विकास निधि	----	----	8918800	----
राष्ट्रीय गं0ब0वि0	----	2244000	----	----
अतिरिक्त मुद्रांक	----	----	598764	----
विद्यायक योजना	----	----	----	1029840
सांसद योजना	----	----	----	100000
आधुनिक मशीन	----	----	425000	----
डी0पी0आर0	----	----	25000	----
भवन निर्माण हेतु	----	----	----	2887875
ब्याज प्राप्ति	48692	63580	39821	79224
स्वयं के स्त्रोत से प्रा0	335103	263127	179695	317751
अन्य प्राप्ति	17000	31113	70631	21177
वर्ष के दौरान कुल प्रा0	1083614	3453515	11495941	5370755
कुल प्राप्ति	3923874	4521934	13014923	10474031
वर्ष के दौरान कुल व्यय	2855455	3002952	7911647	2619712
अंत शेष	1068419	1518982	5103276	7854319

रोकड़ बही के अनुसार 31.03.2008 को अंतशेषः-	7854319.00
बैंक पासबुक के अनुसार 31.03.2008 को अंशतेषः-	
नालन्दा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (A/c No.- 840)	2059374.20
नालन्दा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (A/c No.- 3936)	902412.10
इलाहाबाद बैंक (A/c No.- 10261)	2268235.00
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (A/c No.- 6361)	2459604.96
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (A/c No.- 8014)	154137.13
कैनरा बैंक (A/c No.- 10780)	7456.00
कुल योग	**7851219.39**

नगर पंचायत सिलाव द्वारा वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक स्वयं स्त्रोत से प्राप्त राजस्व तथा स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय का विवरण निम्न हैः-

क्रम सं0	**वर्ष**	**वसूल किया गया राजस्व**	**स्थापना एवं अन्य प्रशासनिक व्यय**	**अंतर**
(i.)	2004-05	3,35,103	3,91,069	(-) 55,966
(ii.)	2005-06	2,63,127	4,43,279	(-) 1,80,152
(iii.)	2006-07	1,79,695	3,65,148	(-) 1,85,453
(iv.)	2007-08	3,17,751	4,37,086	(-) ,19,335

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत सिलाव की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है। नगर पंचायत द्वारा वर्ष वार वसूल किया गया राजस्व स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय को भी पूरा करने में सक्षम नहीं है।

अतः नगर पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए कहना है कि नगर पंचायत के राजस्व में वृद्धि हेतु आवश्यक कदम उठाये जाये जिससे संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके।

पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार 31.03.2004 का अंतशेष 1130672.00 रूपये पाया गया। जबकि रोकड़ बही के अनुसार 2809546.11 रूपये अंत शेष पाया गया। बैंक पासबुक के अनुसार 01.04.2004 का प्रारंभिक शेष 2840260.11 पाया गया जो बैंक पास बुक के आधार पर लिया गया था। यधपि बैंक पासबुक के आधार पर प्रारंभिक शेष (01.04.2004) 2840259.

53

11 रूपये होना चाहिए था। इस प्रकार लिये गये प्रारंभिक शेष में 1 रूपये का अंतर था। जबकि रोकड़ बही के अनुसार वास्तविक अंतर (2809546.11-2840259.11) 30713.00 रूपये था।

अतः उक्त अंतर की स्थिति के बारे में अगले अंकेक्षण को अवगत करावें तथा इसका अनुपालन लेखा परीक्षा कार्यालय को शीघ्र भेजी जाय।

बैंक पास बुक के अनुसार प्रारंभिक शेष	01.04.2004 को
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (खाता संख्या- 7592)	8,75,617.58
नालन्दा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (खाता संख्या- 840)	2,49,526.53
कैनरा बैंक (खाता संख्या- 10780)	13,589.00
नालन्दा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (खाता संख्या- 3936)	16,85,137.00
इलाहाबाद बैंक (खाता संख्या- 10261)	16,389.00
योग	**28,40,259.11**
रोकड़ बही का प्रारंभिक शेष (01.04.2004)	2840259.11
रोकड़ बही का अंतशेष (31.03.2004)	2809546.11
प्रारंभिक शेष में अंतर (01.04.2004)	(-) 30,713.00

4. बजट।

नगर पंचायत सिलाव के वर्ष 2004-05 से 2007-08 के दौरान आय-व्यय का निम्नलिखित बजट प्राक्कलन तैयार की गई सरकार को भेजी गईः-

क्रम सं0	वर्ष	अनुमानित आय (बजट के अनुसार)	अनुमानित व्यय (बजट के अनुसार)	अंतर	बजट तैयार होने का दिनांक	बोर्ड में पारित तिथि	सरकार को भेजे जाने की दिनांक
1.	2004-05	3,73,37,500	3,73,33,441	4,059	---	---	05.04.04
2.	2005-06	3,73,37,500	3,73,48,584	11,084	---	---	25.04.05
3.	2006-07	3,70,07,500	3,73,77,446	39,946	04.04.06	---	06.04.06
4.	2007-08	3,73,37,500	3,73,77,446	39,946	20.03.07	---	30.03.07
	वर्ष	**बजट के अनुसार अनुमानित आय**	**वास्तविक आय**	**अंतर**	**बजट के अनुसार अनुमानित व्यय**	**वास्तविक व्यय**	**अंतर**
1.	2004-05	3,73,37,500	3923874	(+)33413626	37333441	2855455	(+)34477986

2.	2005-06	3,73,37,500	4521934	(+)32815566	37348584	3002952	(+)34345632
3.	2006-07	3,73,37,500	13011823	(+)24325677	37377446	7911647	(+)29465799
4.	2007-08	3,73,37,500	10470931	(+)26866569	37377446	2619712	(+)34757734

लेखा परीक्षा।

(i.) उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है प्रत्येक वर्ष का अनुमानित आय बजट प्राक्कलन के अनुसार एक समान ही लिया गया। जबकि वास्तविक आय काफी कम थी। उसी प्रकार प्रतिवर्ष अनुमानित व्यय वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में बहुत ही कम का अंतर रहा जबकि 2006-07 एवं 2007-08 का एक समान लिया गया जबकि वास्तविक व्यय काफी कम रहा। इससे स्पष्ट होता है कि बजट का प्राक्कलन वास्तविक आय एवं व्यय को ध्यान में रखकर तैयार नहीं किया गया।

बिहार म्युनिसीपल एक्ट 1922 के धारा - 71 के अनुसर वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 2 माह पूर्व वार्षिक बजट तैयार किये जाने का प्रावधान है। साथ ही धारा- 72(3) के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व हीं जिला अधिकारी एवं नगर विकास विभाग को भेजा जाना सुनिश्चित किया गया है। परन्तु नगर पंचायत सिलाव द्वारा न तो समय पर बजट तैयार की गई और न ही सरकार को भी समय पर भेजी गई। सरकार को बजट की सूचना वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक या तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद या वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर भेजी गई। जिससे उक्त नियम का उल्लंधन किया गया। अतः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए लेख है बजट का प्राक्कलन समय पर तैयार कर तथा वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व सरकार को भेजा जाना सुनिश्चित करें तथा साथ बजट का प्राक्कलन वास्तविकता को ध्यान में रख कर तैयार करें।

5. आंतरिक लेखा परीक्षा।

बिहार नगरपालिका अधिनियम- 1922 तथा इसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली में नगर पंचायतों के लेखा के आन्तरिक अंकेक्षण की कोई स्पष्ट व्यवस्था तो नहीं है, परन्तु बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के नियम 20, 30 एवं 61 में रिकवरी ऑफ टैक्स नियमावली 1949 (Recovery of Tax Act, 1949) के नियम- 37 एवं 39 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा आंतरिक जाँच के अनेक प्रावधन हैं। उक्त जाँचों का उद्देश्य है कि नगर पंचायत के लेखा के संधारण एवं समन्वय पर उचित नियंत्रण रखा जाय तथा अनियमितताओं को रोका जा सके।

नगर पंचायत के अभिलेखों की जाँच के क्रम में पाया गया कि उक्त प्रक्रिया का अनुपालन नहीं हुआ था जिसके कारण अनेक त्रृटियाँ पाई गइ। अगर नगर पंचायत के पदाधिकारी नियम

31

अन्तराल पर उन जाँचों को अपनाते तो अनेक त्रुटियाँ नहीं होती। भविष्य में इस दिशा में ध्यान दिया जाये।

6. रोकड़ बही।

रोकड़ बही के संधारण में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गईः-

(i.) नगर पंचायत सिलाव द्वारा अंकेक्षण अवधि तक पी0एल0 खाता नहीं खोले गये थे। जबकि 6 बैंक खाते में नगर पंचायत की राशि रखी गई थी।

(ii.) रोकड़ बही में तिथिवार प्रविष्ट दर्ज नहीं की गई थी।

(iii.) रोकड़ बही में निरस्त चेकों को नहीं दर्शाया गया। जब बैंक से चेक का समाधान/भुना (Clearance/encasshed) लिया गया तब जाकर रोकड़ बही में दर्ज दिखाया गया।

(iv.) कई जगहों पर प्राप्तियों एवं कई जगहों पर भुगतान का विस्तृत विवरण दर्ज नहीं था।

अतः रोकड़ बही का सही ढ़ंग से संधारण किया जाये एवं अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

7. नगर पंचायत क्षेत्र में करारोपन नहीं (Non Imposition of Tax)।

बिहार एवं उड़ीसा म्युनिसपल एक्त (Bihar & Orissa Municipal Act) 1922 के धारा-82 के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र समिति राज्य सरकार के पूर्व सहमति से अपने क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स लगा सकती है। इसके अतिरिक्त पानी कर एवं मल कर भी वार्षिक किराया के आधार पर निर्धारित कर सकती है।

नगर पंचायत सिलाव के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि तक यह कर लागू नहीं किया गया।

अतः नगर पंचायत सिलाव के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए लेख है कि इन करों का करारोपन शीघ्र की जाये ताकि नगर पंचायत के आय में वृद्धि हो सके तथा आर्थिक दृष्टि से भी आत्म-निर्भर हो सके।

8. कम/जमा नहीं जमा।

नगर पंचायत सिलाव द्वारा वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक विविध रसीद द्वारा वसूल की गई राशि को पंचायत निधि मे कम जमा/नहीं जमा पाया गया जिसका विवरण निम्न हैः-

क्रम सं0	विविध रसीद सं0	दिनांक	विवरण	वास्तविक वसूली की राशि	जमा राशि	कम जमा/ नहीं जमा
1	75-85 (M.R.)	01.04.06 से 26.04.06	अरविंद कुमार से रामाकान्त सिन्हा तक	2,739	शून्य	2,739
2	19	17.01.06	सत्येन्द्र सिंह एवं उपेन्द्र कुमार	700	350	350
3	154 (150-क)	02.11.07	अनुज कुमार एवं अनिल कुमार	375	शून्य	375
4	29 (M.R.)	01.11.05	मुन्ना कुमार	150	125	25
5	30(M.R.)	01.11.05	मो0 सादिक मियां	250	125	125
6	129(M.R.)	05.08.08	रामखेलावन तिवारी	200	शून्य	200
7	130(M.R.)	05.08.08	सुरेन्द्र प्रसाद	200	शून्य	200
8	409(M.R.)	06.04.05	दिनेश सिंह	120	शून्य	120
9	464 (M.R.)	06.08.05	सुरेन्द्र प्रसाद सिंह	120	शून्य	120
10	212-215 (150-क)	01.01.08 से 22.01.08	शंकर साव से प्रवीण कुमार तक	665	625	40
11	216 से 235 (150-क)	22.01.08 से 21.07.08	अनिल कुमार से शैलेन्द्र कुमार	5,895	शून्य	5,895
12	174-199 (150-क)	29.10.07 से 28.11.07	अशोक कुमार से उमेश मिस्त्री	9,300	शून्य	9,300
13	222-295 (M.R.)	27.09.04 से 31.03.05	बाबू लाल प्रसाद से अजय कुमार	11,997	शून्य	11,997
14	401-456 (M.R.)	27.04.07 से 28.04.07	राम प्यारे प्रसाद से सुनीला देवी (1595/-)			
15	501-600 (M.R.)	28.04.07 से 30.04.07	हेमलाल पटवा से मो0 मुस्ताक (19,009/-)			
16	602-700 (M.R.)	30.04.07	अशोक कुमार से सीता महतो (19,254/-)	67721	53,570	14151
17	701-800 (M.R.)	30.04.07 से 05.05.07	राजो महतो से जब्बार (23,219/-)			

18	801-829 (M.R.)	05.05.07 से 25.10.07	बच्चु राम से नन्द लाल (4,644/-)			
(1595+19009+19254+23219+4644=67721.00)						
19	830	26.10.07	कौशिल्या देवी	90	शून्य	90
20	457-489	02.05.07 से 23.05.07	जानकी देवी से पूनम ज्योति	1,105	559	546
21	903-928	21.07.08	मो0 आफताब से पंकज कुमार	654	शून्य	654
22	161-173 (150-क)	05.10.07 से 27.10.07	संजीत कुमार से अभिषेक कुमार	4,925	4,575	350
23	421-436	06.05.05 से 11.06.05	प्रवीण कुमार से लखन पाण्डेय	1,990	1,970	20
24	448-457	12.07.05 से 27.05.05	डा0 सुनिल प्रसाद शर्मा से रामखिलावन तमोली	2,480	2,460	20
योग				**1,11,676**	**64,359**	**47,317**

विविध रसीद से प्राप्त कुल राशि 1,11,676.00 रूपये में से 64,359.00 रूपये बैंक में जमा पाया गया तथा शेष 47,317.00 रूप्ये कम जमा/नहीं जमा पाया गया। अतः कम जमा/नहीं जमा की गई राशि रूपये 47,317.00 पंचायत निधि में शीघ्र जमा कर अंकेक्षण को अवगत करावें।

9. नगर पंचायत सिलाव द्वारा विभिन्न बाजारों की बंदोबस्ती।

नगर पंचायत सिलाव द्वारा वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक सिलाव मवेशी फाटक, कड़ाह उर्दा बाजार एवं सिलाव उर्दा बाजार की बंदोबस्ती की गई।

जिसका विवरण निम्न हैः-

सिलाव मवेशी फाटक की बंदोबस्तमी।

क्रम सं0	वर्ष	सुरक्षित जमा राशि	डाक की राशि	अभियुक्ति
(i.)	2003-04	19,951.00	20,000.00	श्री मुन्ना सिंह
(ii.)	2004-05	20,000.00	9,500.00	श्री ललन कुमार
(iii.)	2005-06	10,450.00	19,200.00	श्री ललन कुमार
(iv.)	2006-07	19,200.00	9,101.00	श्री ललन कुमार
(v.)	2007-08	9,101.00	9,557.00	श्री धर्मेन्द्र कुमार

कड़ाह उर्दा बाजार की बंदोबस्ती				
(i.)	2003-04	7,301.00	19,501.00	श्री सुरेश प्रसाद
(ii.)	2004-05	19,501.00	7,100.00	श्री जगदेव प्रसाद
(iii.)	2005-06	8,910.00	8,910.00	श्री संजीत कुमार
(iv.)	2006-07	8,110.00	8,101.00	श्री जगदेव प्रसाद
(v.)	2007-08	8,101.00	8,507.00	श्री जगदेव प्रसाद

लेखा परीक्षा टिप्पणी।

(i.) उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि वर्ष 2003-04 में उक्त बाजारों की बंदोबस्ती सुरक्षित जमा राशि से अधिक में बंदोबस्ती की राशि में उत्तरोतर कमी होती रही। विभाग द्वारा भी सुरक्षित जमा की राशि न्यूनतम निर्धारित की गई।

अतः विभागीय सुरक्षित जमा, कम निर्धारित तथा सीमित व्यक्तियों के बीच बंदोबस्ती होना, विभागीय शिथिलता का द्योतक है। यदि उचित तरीके से प्रचार-प्रसार किया जाता तो नगर पंचायत को संभवतः अधिक राजस्वकी प्राप्ति होती।

सिलाव उर्दा बाजार की बंदोबस्तमी।				
क्रम सं0	**वर्ष**	**सुरक्षित जमा राशि**	**डाक की राशि**	**अभियुक्ति**
(i.)	2003-04	1,21,100.00	1,22,500.00	श्री परमानन्द सिंह
(ii.)	2004-05	1,22,500.00	1,79,005.00	श्री अमित कुमार
(iii.)	2005-06	1,96,905.00	1,91,000.00	श्री सिकन्दर कुमार
(iv.)	2006-07	1,97,905.00	1,95,101.00	श्री अमित कुमार
(v.)	2007-08	1,95,101.00	2,04,856.00	श्री संजय सिंह

लेखा परीक्षा टिप्पणी।

(i.) नगर पंचायत, सिलाव द्वारा सिलाव उर्दा बाजार की बंदोबस्ती की गई जो कम-से-कम 10% राशि पिछले बंदोबस्ती की राशि में वृद्धि करने के बाद निर्धारित होनी थी। जिससे नगर पंचायत अधिक राजस्व प्राप्ति से वंचित रहा।

अतः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कार्यपालक पदाधिकारी को उक्त बाजारों की बंदोबस्ती हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार तथा उचित कदम उठाने की सलाह दी जाती है जिससे नगर पंचायत, सिलाव के राजस्व में वृद्धि हो सके।

10. अनुदान।

अनुदान पंजी एवं अनुदान विनियोग पंजी का संधारण नगर पंचायत सिलाव द्वारा नहीं किये जाने के कारण दिनांक 01.04.2004 को अव्यवहृत अनुदान, वर्ष 2004-05 से 2007-08 में प्राप्त अनुदान व उसके व्यय तथा 31/03/2008 को अव्यवहृत अनुदान की राशि की स्थिति को लेखा परीक्षा में आकलन नहीं किया जा सका।

अनुदान विनियोग पंजी के संधारण नहीं होने के कारण यह भी पता नहीं चल सका कि विशिष्ट उद्देश्य हेतु प्राप्त अनुदान का व्यय उसी उद्देश्य पर तथा स्वीकृत शर्तों के अधीन किया गया या नहीं तथा राशि की विचलन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

रोकड़ बही के अनुसार वर्ष 2004-05 से 2007-08 अंतर्गत निम्न अनुदान की राशियाँ प्राप्त हुई थीः-

वर्ष 2004-05				
क्रम सं0	**रोकड़ पंजी में दर्ज तिथि**	**स्वीकृत्यादेश**	**राशि**	**प्रयोजन**
(i.)	13.04.04	459/न0वि0वि0/15.02.04	51,095.00	वेतन मद
(ii.)	17.06.04	1721/न0वि0वि0/18.05.04	4,92,983.00	एकादश वित्त
(iii.)	24.11.04	707/12.06.2004	87,647.00	स्वर्ण ज0श0रो0
वर्ष 2005-06				
(i.)	06.05.05	803/न0वि0वि0/30.03.05	51,138.00	वेतन
(ii.)	03.06.05	373/न0वि0वि0/26.05.05	22,44,000.00	रा0गं0ब0वि0यो0
(iii.)	03.06.05	330/न0वि0वि0/24.05.05	1,36,000.00	स्वर्ण ज0श0रो0
(iv.)	10.03.06	3119/न0वि0वि0/28.09.05	5,97,509.00	द्वादश वि0आ0
(v.)	10.03.06	3176/न0वि0वि0/26.09.05	22,729.00	वेतन
वर्ष 2006-07				
(i.)	05.05.06	1101/न0वि0वि0/30.03.06	8,51,800.00	नाली निर्माण
(ii.)	11.05.06	1131/न0वि0वि0/31.03.06	21,61,000.00	पथ निर्माण

(iii.)	09.05.06	1102/न0वि0वि0/30.03.06	44,06,000.00	पथ निर्माण
(iv.)	09/06	246/न0वि0वि0/27.06.06	8,08,609.00	स्वर्ण ज0श0रो0
(v.)	30.11.06	608/न0वि0वि0/25.10.06	25,000.00	डी0पी0आर0
(vi.)	20.12.06	3115/न0वि0वि0/11.08.06	3,95,527.00	द्वादश वित्त
(vii.)	31.01.07	224/न0वि0वि0/02.02.06	4,40,357.38	अतिरिक्त मुद्रांक
(viii.)	31.03.07	371/न0वि0वि0/05.02.07	34,094.00	वेतन
(ix.)	10.03.07	432/न0वि0वि0/07.02.07	15,00,000.00	पथ निर्माण
(x.)	10.03.07	48/न0वि0वि0/08.01.07	1,58,407.52	अतिरिक्त मुद्रांक
(xi.)	10.03.07	3515/न0वि0वि0/19.09.06	4,25,000.00	आधुनिक मशीन
वर्ष 2007-08				
(i.)	28.06.07	1618/न0वि0वि0/17.04.07	28,87,875.00	प्रशा0 भवन निर्माण
(ii.)	27.02.08	-	1,00,000.00	सांसद मद
(iii.)	14.03.08	5674/न0वि0एवं वि0वि0/19.12.07	5,93,944.00	द्वादश वित्त
(iv.)	14.03.08	5264/न0वि0वि0/26.11.07	3,40,944.00	वेतन
(v.)	30.03.08	856/न0वि0वि0/21.02.08	10,29,840.00	विद्यायक की अनुशंसा पर चापाकल

अनुदान/अनुदान विनियोग पंजी तथा रोकड़ बही में अंतशेष का विवरणी नहीं होने के कारण अनुदान की राशि के विचलन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः, सभी अनुदान/अनुदान विनियोग पंजी का उचित रूप से संधारण कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

11. सरकारी अनुदान।

वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत सिलाव द्वारा अनुदान पंजी एवं अनुदान विनियोग पंजी का संधारण नहीं किया गया था। जिससे यह पता नहीं चल सका कि पूर्व वर्ष के शेष, वर्ष के दौरान प्राप्ति एवं उपयोग तथा वर्ष के अंत में अवशेष क्या था। कर्मचारियों के वेतनादि से संबंधित अनुदान को पंचायत निधि की राशि के

साथ मिलाकर रखा गया। स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं कराया गया। वेतनादि हेतु प्राप्त अनुदान का विवरण निम्न हैः-

क्रम सं0	रोकड़ बही में दर्ज दिनांक	विवरण	राशि (रूपये में)
(i.)	13.04.04	459/न0वि0वि0/05.02.04	51,095.00
(ii.)	06.05.05	803/न0वि0वि0/30.03.05	51,138.00
(iii.)	10.03.06	3176/न0वि0वि0/26.09.06	22,729.00
(iv.)	31.03.07	371/न0वि0वि0/05.02.07	34,094.00
(v.)	14.03.08	5264/न0वि0वि0/26.11.07	3,40,944.00
योग			**5,00,000.00**

अतः, सरकारी अनुदान पंजी का संधारण उचित तरीके से किया जाय तथा इसके उपयोगिता पर ध्यान रखा जाये।

12. सरकारी ऋण।

नगर पंचायत सिलाव द्वारा सरकारी ऋण पंजी का संधारण नहीं किया गया था। इस कारण पूर्व वर्ष का अव्यवहृत राशि, वर्ष के दौरान प्राप्ति, ब्याज एवं चुकाये गये ऋण का पता नहीं लग सका। सरकारी ऋण को पंचायत निधि के साथ ही मिलाकर रखा गया। सरकारी ऋण का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं कराया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त ऋण का विवरण निम्न रहाः-

क्रम सं0	रोकड़ बही में दर्ज दिनांक	विवरण	राशि (रूपये में)
1.	13.04.2004	460/न0वि0वि0/05.02.2004	51,094.00
2.	06.05.2005	804/न0वि0वि0/30.03.2004	44,319.00
योग			**95,413.00**

अतः, 31/03/2008 तक नगर पंचायत सिलाव को प्राप्त ऋण एवं उस पर ब्याज की गणना कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाये। साथ हीं, भविष्य में उक्त ऋण के पुर्नभुगतान हेतु आवश्यक कदम उठाये गयें।

13. अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क।

नगर पंचायत सिलाव द्वारा अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क पंजी का संधारण नहीं किया गया था। वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक प्राप्त अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क का विवरण निम्न हैः-

क्रम सं0	रोकड़ बही में दर्ज दिनांक	विवरण	राशि (रूपये में)
1.	31.01.2007	224/02.02.2006	4,40,357.38
2.	10.03.2007	48/08.01.2007	1,58,407.52
कुल योग			5,98,764.90

अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क पंजी का संधारण नहीं होने के कारण यह पता नहीं लग सका कि किस अवधि से किस अवधि तक का मुद्रांक शुल्क प्राप्त हुआ तथा पूर्व में प्राप्त मुद्रांक शुल्क क्या था या क्या अवशेष था।

नगर पंचायत द्वारा उपलबध कराये गये योजना विवरणी से प्रतीत होता है कि वर्ष 2006-07 में 5 योजनायें ली गई जिसकी प्राक्कलित राशि 4,88,100.00 रूप्ये थी जिसके विरूद्ध 4,04,382.00 रूप्ये व्यय की गई। एक योजना अपूर्ण है जिसकी प्राक्कलित राशि 1,00,000.00 रूप्ये के विरूद्ध 16,282.00 रूपये का व्यय किया जा चुका है। अः अपूर्ण योजना को शीघ्र पूर्ण कर लेखा परीक्षा को अवगत करावें।

14. (i.) राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम (NSDP)।

शहरी क्षेत्र में अवस्थित 'गंदी बस्ती' के विकास हेतु सरकार ने राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम (NSDP) की शुरूआत की, जिसका उद्देश्य गंदी बस्ती में रहने वाले परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करना था। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार से हैं:-

(i.) योजना का कार्यान्वयन शहरी क्षेत्र के नेवरहुड कमिटि एवं कम्युनिटि डेवलपमेंट सोसाईटी (Nighbouthood Committee & Community Development Socity) के द्वारा किया जायेगा। जहाँ इन सामुदायिक विकास समिति का गठन नहीं हुआ है, वहाँ इनका गठन अविलंब करा लिया जाये।

(ii.) निर्माण कार्य अन्य एजेंसी यथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्रामीण अभियंत्रण संगठन आदि से कराया जाना बिल्कुल अनियमित है।

(iii.) योजना हेतु आवंटित राशि का व्यय शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वालों के क्षेत्र की सीमा से बाहर तथा ग्रामीण क्षेत्र आदि में करना अनियमितता ही नहीं बल्कि राशि का दुर्विनियोग जैसा आर्थिक अपराध है।

(iv.) कुल आवंटन का कम-से-कम 10% स्लम वासियों के लिये नये आवास निर्माण/उन्नयन पर खर्च किया जायेगा। आवास निर्माण की लागत प्रति ईकाई 33,800.00 रूपये एवं

भौगोलिक सुविधा संवर्द्धन हेतु अतिरिक्त 2,500.00 रूपये अर्थात 36,300.00 प्रत्येक इकाई आवास की लागत होगी।

(v.) इस योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति के द्वारा दी जायेगी। अतः इससे संबंधित प्रस्ताव निदेशक, शहरी गरीबी निवारण कार्यक्रम, नगर विकास विभाग को भेजने की कृपा की जाये। ऐसे प्रस्तावों में कुल लागत का एक अंश "ऋण" के रूप में शामिल किया जाना अपेक्षित होगा। इस ऋण की व्यवस्था सांस्थिक वित्त के माध्यम से की जा सकती है।

(vi.) यह सुनिश्चित किया जाय कि राशि का विचलन किसी भी स्थिति में अन्य योजनाओं में न हो।

(vii.) शहरी स्थानीय निकाय निर्माण कार्य का सामान्य नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करेगा।

(viii.) कार्य एक निश्चित समयावधि में पूर्ण कराया जाना चाहिए तथा किसी भी स्थिति में अधूरा नहीं छोड़ा जायेगा।

राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नगर पंचायत सिलाव को प्राप्त राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार हैः-

क्रम सं0	विवरण	राशि
1.	373/न0वि0वि0/26.05.2005	22,44,000.00

गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम की शर्त्तों के अनुसार कुल आवंटित राशि का 10% स्लम वासियों के लिए नये आवास निर्माण/उन्नयन पर किये जाने वाले खर्च का ब्यौरा इस प्रकार हैः-

आवंटित/प्राप्त राशि	आवास निर्माण पर किया जाने वाला 10% की राशि
22,44,000.00	2,24,400.00

राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में कुल 92 योजनायें (29+63) ली गई जिनमें 3 योजनायें जिनकी प्राक्कलित राशि 1,01,400.00 रूपये थी जिस पर अब तक 60,515.00 रूपये कर दिया गया है परन्तु ये योजनायें अब तक अपूर्ण है। अतः उक्त अपूर्ण योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कर लेखा परीखा को अवगत करावें।

<u>स्लम पॉकेट्स (Slum Pockets) की पहचान।</u>

नगर पंचायत सिलाव द्वारा लेखा परीक्षा को ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जिससे यह साबित की जा सके कि उक्त योजनान्तर्गत ली गई समस्त योजनायें गंदी/मलिन बस्ती में ही संचालित है।

इसके अतिरिक्त Community Development Society & Neighbouthood Group के गठन से संबंधित कोई ठोस प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया सिवाय एक संचिका के जिसमें सदस्यों के नाम उद्धृत थे तथा उन्हीं द्वारा यह अभिप्रमाणित किया गया था। किसी उच्चाधिकारी या अन्य किसी समुदाय द्वारा अभिप्रमाणित हो ऐसा कोई अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं किया जा सका।

अतः उक्त योजनान्तर्गत किया गया समस्त राशि 37,98,514.00 रूपये आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

आवास निर्माण योजना में राशि का विचलन

राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 2,24,400.00 रूपये उपलब्ध थी। जिसके विरूद्ध 14 आवास निर्माण हेतु 4,73,200.00 रूपये प्राक्कलित राशि की योजना ली गई जिसके विरूद्ध 4,32,315.00 रूपये व्यय की जा चुकी है और 3 आवास अभी तक अपूर्ण है। जिसे शीघ्र पूर्ण कर लेखा परीक्षा को अवगत करावें। इसके अतिरिक्त उपलब्ध राशि के विरूद्ध 2,07,915.00 रूपये का विचलन किया गया। जो अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

14. (ii.) सहाय अनुदान (विकास निधि)।

नगर पंचायत सिलाव को वर्ष 2006-07 में विकास निधि अंतर्गत 89,18,800.00 रूपये प्राप्त हुआ जिसका विवरण निम्न है:-

क्रम सं0	रोकड़ बही में दर्ज दिनांक	विवरण	राशि (रूपये में)
1.	09.05.2006	1102/न0वि0वि0/30.03.2006	44,06,000.00
2.	05.05.2006	1101/न0वि0वि0/30.03.2060	8,51,800.00
3.	11.05.2006	1134/न0वि0वि0/30.03.2006	21,61,000.00
4.	10.03.2007	432/न0वि0वि0/07.02.2007	15,00,000.00
योग			89,18,800.00

नगर पंचायत सिलाव द्वारा वर्ष 2006-07 में ली गई योजनाओं की विवरणी:-

क्रम सं0	वर्ष	ली गई योजनाओं की संख्या एवं प्रकार	प्राक्कलित राशि	वास्तविक व्यय	अपूर्ण यो0 की सं0	अपूर्ण योजना पर व्यय
1.	2006-07	42(पी0सी0सी0 सड़क नाली, ईट सोलिंग)	89,85,775.00	89,58,715.00 (सभी योजना पूर्ण)	-----	----

नगर पंचायत सिलाव को वर्ष 2006-08 में 89,18,800.00 रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ जबकि 89,85,775.00 रूपये प्राक्कलित राशि की 42 योजनायें ली गई और इसके विरूद्ध राशि रूपये 89,58,715.00 व्यय किया गया जो वास्तविक आवंटन से 39,915.00 (8958715-8918800) अधिक व्यय किया गया। यह अतिरिक्त राशि के बारे में अंकेक्षण को बताने तक इसे आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

14. (iii.) सांसद मद।

नगर पंचायत, सिलाव को वर्ष 2007-08 में न0वि0वि0 के पत्र संख्या- 856 दिनांक 21.12.2008 द्वारा 10,29,840.00 रूपये का अनुदान प्रदान किया गया। जिसमें से वर्ष 2007-08 में हीं 1 योजना पैन की खुदाई की 2,00,000.00 रूपये प्राक्कलित राशि की योजना ली गई जिस पर अंकेक्षण अवधि तक 97,500.00 रूपये व्यय की जा चुकी थी और योजना अपूर्ण थी।

अतः उक्त योजना विरूद्ध किया गया समस्त व्यय (97500.00) योजना पूर्ण होने तक आपत्ति के अधीन रखी जी है।

15. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (SJSRY)।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत नगर पंचायत, सिलाव को वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक प्राप्त अनुदान का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्रम सं0	रोकड़ बही में दर्ज दिनांक	विवरण	राशि (रूपये में)
1.	24.11.2004	707/12.06.2004, चेक संख्या- 710356/01.07.2004	87,647.00
2.	03.06.2005	330/न0वि0वि0/24.05.2005	1,36,000.00
3.	29.07.2006	246/न0वि0वि0/27.06.2006	8,08,609.00
योग			**10,32,256.00**

नगर पंचायत द्वारा अनुदान एवं अनुदान विनियोग पंजी का संधारण नहीं किया गया था। अतः उक्त अनुदान की राशि का उपयोग एवं वर्ष के अंत में अवशेष का ठीक-ठीक पता नहीं लग सका। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत मजदूरी घटक के अंतर्गत एक योजना वर्ष 2006-07 में 65,500.00 रूपये प्राक्कलित राशि की ली गई। जो 65,415.00 रूपये में पूर्ण की गई। जिस पर बिक्री कर एवं रॉयाल्टी की राशि क्रमशः 1288.00 रूपये एवं 211.00 रूपये

की कटौती की गई परन्तु सरकारी खाते में जमा नहीं कराई गई। अतः रॉयाल्टी एवं बिक्री कर की राशि 1,499.00 रूपये की सरकारी निधि में जमा कर अंकेक्षण को अवगत करावें।

शेष राशि 9,66,841.00 (1032256-65415) से संबंधित अभिलेख/प्रलेख अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः अगले अंकेक्षण को उक्त राशि के उपयोगिता/अवशेष से संबंधित सम्पूर्ण अभिलेख उपलब्ध करावें।

16. एकादश वित्त आयोग।

एकादश वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2004-05 में पत्र संख्या- 1721/न0वि0वि0/18.05.2004 द्वारा राशि रूपये 4,92,983.00 प्राप्त हुई जिसे दिनांक 17.06.2004 को रोकड़ बही में दर्ज किया गया।

नगर पंचायत सिलाव द्वारा उक्त राशि से पी0सी0सी0 सड़क निर्माण हेतु 4,92,000.00 रूपये प्राक्कलित राशि की एक योजना ली गई जिस पर 4,92,000.00 रूपये व्यय की जा चुकी है। योजना पूर्ण की जा चुकी है। परन्तु बिक्री कर की कटौती नहीं की गई थी। साथ हीं रॉयाल्टी की राशि 18,567.00 रूप्ये की कटौती की गई परन्तु सरकारी खाते में जमा नहीं की गई।

अतः राशि रूपये 18,567.00 रूपये को सरकार के खाते में जमा कर, अंकेक्षण को अवगत करावें, यद्यपि इसका विवरण अलग से दिया गया है।

17. द्वादश वित्त आयोग।

वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक द्वादश वित्त आयोग अंतर्गत नगर पंचायत सिलाव को प्राप्त राशि का विवरण निम्न हैः-

क्रम सं0	रोकड़ बही में दर्ज दिनांक	विवरण	राशि (रूपये में)
1.	20.12.2006	3115/न0वि0वि0/11.08.2006	3,95,527.00
2.	10.03.2006	3191/न0वि0वि0/28.09.2005	5,97,509.00
3.	14.03.2008	5674/न0वि0वि0/19.12.2007	5,93,944.00
योग			**15,86,980.00**

लेखा परीक्षा टिप्पणी।

नगर पंचायत, सिलाव द्वारा वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में 7,60,300.00 रूपये प्राक्कलित राशि की कुल 28 योजना ली गई। जिस पर 7,59,490.00 रूपये व्यय किया गया।

द्वादश वित्त आयोग के अंतर्गत विभिन्न घटक यथा ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन पर व्यय, ई-गर्वनेंस तथा नागरिक क्षमताओं के विकास से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये। ठोस अपशिष्टि के प्रबंधन के नाम पर कुड़ेदान बनाने पर 2,88,000.00 रूपये व्यय किया गया। जो ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन से संबंधित नहीं है। अतः नगर पंचायत, सिलाव द्वारा उक्त मद (ठोस अपशिष्ट मद) पर किया गया सम्पूर्ण व्यय 2,88,000.00 रूपये अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

18. सभी योजना का कार्यान्वयन की स्थिति।

वर्ष 2004-05 से 2007-08 की अवधि में विभिन्न मदों के अंतर्गत ली गई योजनाएँ की विवरणी संबंधित सहायक द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार कुल अवलोकन से निम्न बातें पाई गईः-

(i.) अपूर्ण योजना

विभिन्न मदों अंतर्गत ली गई कुल 168 योजनाओं में से 164 योजनाएँ पूर्ण थी तथा 4 योजनाओं जिसकी प्राक्कलित राशि 2.01 लाख तथा उन पर व्यय 0.77 लाख थे, अपूर्ण थे।

(ii.) योजना विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सक्षम प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृत से बचने हेतु एक ही योजना को विभक्त कर कराया गया। कुछ उदाहरण निम्न हैः-

क्रम सं0	योजना का नाम	योजना संख्या	प्राक्कलित राशि
1.	वार्ड नंबर- 3 में बाईपास से पोस्ट ऑफिस की ओर पी0सी0सी0 पथ निर्माण (सहायय्)	6/2006-07 7/2006-07	5,00,000.00 1,00,000.00
2.	वार्ड नंबर- 7 मितमा रेलवे लाईन गुमटी से प्राथमिक विधालय तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण (सहायय् अनुदान)	15/2006-07 16/2006-07	2,99,900.00 2,99,000.00

(iii.) अनुदानवार उपयोगिता का अप्रस्तुतीकरण।

किस अनुदान की राशि से कितने योजनाएँ ली गई लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। अतः इसे अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाये।

(iv.) राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास योजना अंतर्गत स्लम पॉकेट से सम्बद्ध सूची अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।

कार्यान्वित योजना के नाम में अथवा अभिलेख में भी यह दर्ज नहीं पाया गया कि योजना किस स्लम जोन से संबद्ध है। अतः इसे अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाये।

राष्ट्रीय गंदी बस्ती योजना अंतर्गत आवास निर्माण से संबंधित लाभान्वितों के चुनाव से सम्बद्ध अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध ,नहीं कराया गया। अतः इसके अंतर्गत किया गया समस्त व्यय अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है जब तक कि अगले अंकेक्षण अवधि तक इसे लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

(v.) वर्ष 2006-07 में पथ निर्माण व जीर्णोद्धार एवं नाली निर्माण/बूचरखाना (क्रम संख्या- 1, 2, 3, 9 पर) हेतु प्राप्त आवंटन सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के प्राक्कलित राशि के विरूद्ध प्राप्त किया गया परन्तु स्वीकृत योजना से संम्बद्ध सूची अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि ली गई योजना सरकार द्वारा स्वीकृतियों के विरूद्ध लिया गया था या नहीं।

योजना के चयन से संबंधित न तो अभिलेख/कागजात प्रस्तुत किया गया न हीं संबंधित योजना अभिलेख में उल्लेखित पाया गया।

विपत्र के अंतमीकरण के समय अभिश्रव का मान तैयार नहीं किया पाया गया।

(विस्तृत विवरण **परिशिष्ट- III** में दर्शाया गया है)।

19. आधुनिक मशीनों एवं उपकरण के क्रय हेतु प्राप्त अनुदान।

सरकार के पत्र संख्या- 3515/न0वि0वि0/दिनांक 19.09.2006 द्वारा स्थानीय निकाय (नगर पंचायत, सिलाव) को सफाई कार्य के लिए एक हाईड्रोलिक ट्रैक्टर के क्रय हेतु 4.25 लाख रूपये का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुदान स्वीकृति किया गया।

उपरोक्त प्राप्त राशि से दिनांक 05.10.2007 को दैनिक जागरण समाचार पत्र में ट्रैक्टर/ए0सी0ई0 टाटा के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की गई। जिसकी तिथि 16.10.2007 को निर्धारित की गई थी।

पत्र संख्या- 103 दिनांक 10.08.2007 द्वारा जिलाधिकारी नालन्दा को क्रय समिति में ए0डी0एम0 स्तर के पदाधिकारी मनोनित करने के लिए आग्रह किया गया था।

उपरोक्त निविदा के विरूद्ध दो निविदा एक मौर्या मोटर्स लिमिटेड ने टाटा ए0सी0ई0 के लिए कुल 2,59,640.00 रूपये मूल्य 2,47,640.00 रूपये रजिस्ट्रेशन (12,000/-) का कोटेशन प्रस्तुत किया तथा दूसरा पाटलिपुत्रा इक्वीपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का जो JCB BDX Excavator Loader जिसका मूल्य 18.20 लाख था, का कोटेशन प्रस्तुत किया गया।

मौर्या मोटर्स द्वारा प्रस्तुत कोटेशन (न्यूनतम के आधार पर) दिनांक 16.10.2007 को स्वीकृत किया गया।

17

नोट शीट के अनुसार कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा दिनांक 16.10.2007 को न्यूनतम के आधार पर मौर्या मोटर्स लिमिटेड के साथ आपूर्ति हेतु प्रस्ताव रखा गया जिसे क्रय समिति (ए0डी0एम0 स्तर के अधिकारी उपस्थित नहीं) द्वारा दिनांक 07.11.2007 को सहमति लिया गया।

पुनः 08.11.2007 को कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उल्लेखित किया गया कि टाटा ए0सी0ई0 का दर अधिक हो गया है। इस कारण अब 2,53,411.00 (247640.00 के जगह) मूल्य होता है।

उल्लेखित है कि कोटेशन में यह दर्ज था कि Priced associated taxes may chages without notice price will be applicable as per the price prevailing on the date of delivery.

नगर पंचायत सिलाव के पत्र संख्या- 128/10.11.2007 द्वारा मौर्या मोटर्स को टाटा ए0सी0ई0 की आपूर्ति हेतु 2,53,411.00 रूपये का बैंक ड्राफ्ट भेजा गया तथा उनके द्वारा दिनांक 20.11.2007 को (ड्राफ्ट नंबर- 103483/10.11.2007) आपूर्ति किया गया।

टिप्पणी।

(i.) सरकार द्वारा स्वीकृत राशि हाईड्रोलिक ट्रैक्टर के क्रय हेतु था परन्तु टाटा ए0सी0ई0 क्रय किया गया जो हाईड्रोलिक नहीं था।

(ii.) आपूर्तिकर्त्ता द्वारा निविदा के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर, पैन नंबर तथा वाणिज्य स्वच्छता प्रमाण-पत्र आदि निविदा के शर्त्तो के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया गया। निविदा के साथ उपकरण का कैटलॉग भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

(iii.) निविदा के शर्त्त के अनुसार वारंटी/गारंटी अवधि तक उपकरण के मूल्य का 5% जमानत के रूप में रखा जाना था परन्तु पूरा भुगतान कर दिया गया।

(iv.) समय पर आपूर्ति आदेश नहीं दिये जाने से नगर पंचायत को 5771.00 रूप्ये का अधिक भुगतान करना पड़ा।

(v.) टाटा ए0सी0ई0 हेतु मात्र एक ही कोटेशन प्राप्त हुआ जिससे तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सका।

(vi.) क्रय समिति में ए0डी0एम0 स्तर के कोई अधिकारी उपस्थित नहीं थे।

अतः मशीनरी क्रय पर किया गया सम्पूर्ण व्यय राशि रूपये 2,53,411.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

16

20. बिक्री कर की कटौती नहीं।

नगर पंचायत सिलाव के वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक के अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि 2004-05 से 2005-06 तक के विभागीय योजनाओं पर बिक्री कर की कटौती नहीं की गई। जिसका विवरण निम्न हैः-

क्रम सं0	योजना सं0/वर्ष	अभिकर्त्ता का नाम	ईट का मूल्य	बिक्री कर (8%)	बालू का मूल्य	बिक्री कर (8%)	सिमेंट का मूल्य	बिक्री कर (11%)
1.	5/04-05	श्रीमति उषा देवी/NHG	8750	700	2400	192	3575	393
2.	6/04-05	श्रीमति मिथिलेश देवी/NHG	48352.50	3865	11640	931	---	---
3.	7/04-05	श्रीमति अनिता देवी/NHG	10451	836	10108	809	---	---
4.	8/04-05	श्रीमति अनिता देवी/NHG	4485	359	1800	144	4862	535
5.	9/04-05	श्रीमति माधुरी देवी/NHG	4380	350	1722	138	3718	409
6.	15/04-05	श्रीमति शांति देवी/NHG	8750	700	2925	234	10725	1180
7.	10/04-05	श्रीमति माधुरी देवी/NHG576	16590	1372	3900	312	4004	440
8.	11/04-05	श्रीमति माधुरी देवी/NHG	31580	2526	7200	576	6864	755
9.	12/04-05	श्रीमति रिंकु देवी/NHG	स्टोन चिप्स @9%29940	2695	3780	302	29458	3240
10.	13/04-05	श्रीमति रिंकु देवी/NHG	स्टोन चिप्स @9% 20820	1874	1920	154	8866	975
11.	14/04-05	श्रीमति शांति देवी/NHG	ईट 12376	990	3250	260	5863	645
12.	16/04-05	श्रीमति शांति देवी/NHG	16248	1300	4114	329	---	---
13.	17/04-05	श्रीमति जेठनी देवी/NHG	स्टोन चिप्स @9%17790	1601	---	--	15730	1730
14.	18/04-05	श्रीमति जेठनी देवी/NHG	ईट 33460	2677	8004	640	---	---
15.	19/04-05	श्रीमति कांति देवी/NHG	28441	2273	5844	468	---	---

16.	21/04-05	श्रीमति सुल्ताना खातून/NHG	7000	560	1800	144	3861	425
17.	20/04-05	श्रीमति कांति देवी/NHG	8750	700	3640	291	2717	299
18.	23/04-05	श्रीमति लाडली खातून/NHG	17500	1400	3000	240	6588	725
19.	26/04-05	श्रीमति नूरजहाँ खातून/NHG	5603	448	990	79	3432	378
20.	27/04-05	श्रीमति नूरजहाँ खातून/NHG	7000	560	3400	272	6435	708
21.	28/04-05	श्रीमति सुशीला देवी/NHG	15079.75	1206	3336	267	---	---
22.	29/04-05	श्रीमति सुशीला देवी/NHG	18152	1452	3492	279	---	---
योग				30447		7061		12837

कुल राशि = (30447+7061+12837)=50345.00 रूपये।

अतः बिक्री कर की कुल राशि रूपये 50,345.00 की वसूली संबंधित व्यक्ति से वसूल कर सरकार के खाते में जमा की जाय। साथ हीं, इस प्रकार के अन्य योजनाओं में भी बिक्री कर का निर्धारण कर सरकारी खाते में जमा की जाय तथा लेखा परीक्षा को इस संबंध में अवगत करावें।

21. कटौती की गई खनन कर व बिक्री कर की राशि जमा नहीं।

उपलब्ध कराये गये विवरणी के आधार पर लेखा परीक्षा अवधि के दौरान विभिन्न योजनान्तर्गत अभिकर्त्ता के विपत्र में कुल राशि 9,40,990.00 रूपये खनन कर एवं बिक्री कर काटी गई। जिसमें से मात्र 20,000.00 रूपये दिनांक 13.11.2006 की ड्राफ्ट संख्या-193088 द्वारा सहायक खनन पदाधिकारी नालन्दा को जमा किया गया।

उपलब्ध कराये गये विवरणी के अनुसार काटी गई खनन कर एवं बिक्री कर का सार निम्न है:-

योजना वर्ष	मद	कुल योजना	खनन कर	बिक्री कर	कुल
2004-05	रा0गं0 बस्ती योजना	27	38459	1074	39533
2004-05	एकादश वि0आ0	1	18567	----	18567
2005-06	रा0 गं0 बस्ती योजना	56	58275	8363	66638
2006-07	सहाय अनुदान	41	290655	446139	736794